

राजस्थान सरकार
न्यायालय नायब तहसीलदार घनाऊ जिला बाड़मेर

क्रमांक / राजस्व / 2024 / 05

दिनांक :- 26-7-2024

आदेश

पटवारी हल्का बुरहान का तला की रिपोर्ट अनुसार धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम 1956 के प्रकरणों को निष्पादित कर निम्नलिखित प्रकरण में जुर्माना राशि वसूली एवं बेदखली के आदेश दिये जाते हैं।

निरीक्षक भू-अभिलेख एवं हल्का पटवारी को आदेशित किया जाता है कि विप्रार्थी को राजकीय भूमि से नियमानुसार मौके से बेदखल कर कब्जा सरकारी तहवील में लेकर जुर्माना राशि वसूल कर राजकोष में जमा करावें एवं कब्जा बहक सरकार प्राप्त कर कब्जा प्राप्ति रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

क. सं.	ग्राम का नाम	मुकदमा नं.	अतिक्रमी का नाम	खसरा नं.	किस्म	रकबा (बीघा)	जुर्माना राशि
01.	बुरहान का तला	06/24	हेमनराम पुत्र पूराराम कौम मेघवाल	1403 1053	बा.सोयम	154 वर्गफीट	03/-



तहसीलदार घनाऊ

क्रमांक / रीडर / 2024 / 06-8

दिनांक :- 26-7-2024

1. भू-अभिलेख निरीक्षक बुरहान का तला को पालनार्थ।
2. पटवारी बुरहान का तला को पालनार्थ।
3. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील हाजा को पालनार्थ।



तहसीलदार घनाऊ

